


फर्द अहकाम

उपरखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़
जमालदीन बनाम रिहाना बेगम
प्रॉ. सं. 2/41/2022 प्रा. पत्र 2/2 RTA

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
<p><u>2/9/22</u> वकील प्रार्थी उपस्थित मह. प्रा. पत्र 2/2 RTA</p> <p>वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ जेश किया। दर्ज राजीव हो। प्रा. पत्र की तारीख में प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थी ने अग्रार्थीगण को अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पलवली का अवलोकन किया गया। उपमदुल्हा केस व सुविधाक सुलभ एवं कूलणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।</p> <p style="text-align: center;">अतः अग्रार्थीगण को जय अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी 15/10/22 तक पाबन्द किया जाता है कि वो आ. प्र. सं. 595/510 वाले ग्राम खेड़ली बहादुर तहसील गोविन्दगढ़ के लैंकड एवं मोकेकी पचासिया प्रार्थी के हिससे तक बनाए रखें।</p> <p>अग्रार्थीगण को नोटिस है कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 7.10.22 को जेश करें कि वमों का उक्त आदेश को दावा के निर्वि तब स्पार्ड कर दिया जावे। अग्रार्थीगण जय नोटिस तलब हो पलवली दिनांक 7.10.22 को वास्ते तलबी अग्रार्थी पेश हो।</p>	


उपरखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अखतर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

23/10/23 पत्रावली पेश हुई। रा कार्य
 स्थगित किया है। P.O. अन्य.....
 कार्य में व्यस्त है।
 पत्रावली दिनांक 11/12/23 को पेश हो।
 रीडर

11.12.23 पत्रावली पेश हुई। क्लीक सार्पी उपस्थित।
 क्लीक सार्पी ने सर्वना पत्र - 212 RTI खोल PRESS
 कर खारिज करवाने का निर्देश किया है। अतः सर्वना
 पत्र - 212 RTI क्लीक सार्पी के खोल PRESS में खारिज
 किया जाता है। पत्रावली केसल सुमार होकर न० से
 कम हो। बाद तामिल तक्कील सुल बाद के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

11/12/23
 रीडर